तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
03.7.2023	वकील अपीलांट उपस्थित। PO साहब अवकाश पर पधारे हैं। पत्रावली वास्ते बहस आर्डर्स दिनांक 17.7.2023 को पेश हो।
17.7.2023	वकील अपीलांट उपस्थित। उत्तरदाता संख्या 03 के वकील उपस्थित। वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि शेष उत्तरदाता बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस के उपस्थित नहीं हो रहे हैं अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस सुनी जावे। पत्रावली का अवलोकन किया, पाया कि उत्तरदाता के नोटिस तामील हुए लगभग 04 माह का समय व्यतीत हो गया है, बावजूद उत्तरदाता उपस्थित नहीं होने के कारण उत्तरदाता संख्या 1,2 व 4 से 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पारित की जाती है। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांट ने तर्क दिए कि अपीलांटगण के पिता पीराराम व उत्तरदाता संख्या 3 से 8 के वालिद मुकनाराम की पैतृक खातेदारी भूमि [illegible] की खसरा नम्बर 46 रकबा 33.16 बीघा भूमि आई हुई है। जिसमें दोनों भाईयों का आधा-आधा हिस्सा रेकर्ड में इन्द्राज था और हिस्सेदुवा…

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:00:01 IST
Reason: SelfAttested

01/2023

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हु
	मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। कि अपीलांटस के पिता का सन 1970 में देहान्त होने पर उनके खाते पर वारिसान नामान्तरण अपीलांट के नाम भरा जाना चाहिए था, लेकिन उत्तरदाता संख्या 3 से 8 के वारिसान पूर्वजान ने तत्कालीन राजस्व कर्मियों से मिलीभगत करते हुए आधी भूमि अपनी खातेदारी में इन्द्राज करवा दी। जबकि अपीलांटस का अपने पिता व बाद में आंशिक कब्जा-काश्त चला आ रहा है और अपीलांटस यही समझते रहे कि विवादित भूमि में उनका नाम इन्द्राज है लेकिन अभी अपील करने के पूर्व उत्तरदाता पक्ष द्वारा अपीलांटस के कब्जा-काश्त में दखलअन्दाजी करने व विवादित भूमि को बेचान करने की कार्यवाही की जाने लगी, तो अपीलांटस ने अपने वकील के जरिये रेकर्ड देखने पर पता चला कि अपीलांटस के नाम नामान्तकरण भरा ही नहीं गया। जबकि पीराराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के कारण नामान्तकरण में नाम भरा जाना चाहिए था। लेकिन उनके हक हकूकों पर कुठाराघात हुआ है और अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन भूमि में पीराराम के 1/2 हिस्से होने के कारण अपीलांटस का नाम खातेदारी में इन्द्राज करने के आदेश फरमाते	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Ver
Digitally signed by Viv
Date: 2023.08.02 21:0
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
	उत्तरदाता संख्या 03 वकील ने अपीलांटू को अपील स्वीकार किए जाने पर सहमति दी गई। हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर गहन विचार किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेज व अधीनस्थ शाखा का विवादित नामान्तकरण का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। विवादित वर्ष कि विवादित नामान्तकरण संख्या 56 के कालम संख्या 05 में पीरा, नेणा पि. टीकमा कौम दर्जी जा. देह इन्द्राज है और पीरा के फोत होने पर विवादित नामान्तकरण पारित हुआ और नामान्तकरण आलोच्य अनुसार खसरा खाते 2360 के नाम इन्द्राज हुआ क्योंकि पीरा का आधा हिस्सा भी नई सुना से खाते इन्द्राज हुआ। क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड/दस्तावेज अनुसार अपीलांट पीरा की विधिक वारिसान है और उनके नाम पीरा के फोत होने पर दर्ज किए जाने चाहिए थी लेकिन अपीलार्थी को उनके हक हकूक से वंचित रखा गया। खतौनी खाता 2360 के दुर्ज उत्तरदाता संख्या 03 ने अपने जवाब [illegible] किया है एवं संलग्न [illegible] द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र क्रमांक 2023/93 दिनांक 28.2.2023 अनुसार

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vya
Date: 2023.08.02 21:00:01 IS
Reason: SelfAttested

01/2023

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अपीलांटस् पीराराम की वारिस है इस प्रकार प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी नामान्तकरण होने के कारण म्याद का प्रश्न ही नहीं रहता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत भी अदालत यह पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहती है कि मृतक पीराराम के अपीलांटस् के अलावा वारिस है अथवा नहीं। ताकि पक्षकार को न्याय मिल सके। ऐसी सूरत में अपीलांटस् की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।	
लिहाजा अपीलांटस् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, संबंधित ग्राम पंचायत कालूड़ी (तह. पचपदरा) द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 56 दिनांक 15.6.1971 का आदेश अपास्त किया जाता है। और प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण 135(2) LR Act में दर्ज कर अपीलार्थी भूमि के मृतक पीराराम के समस्त वारिसान की जांच करते हुए विवादित भूमि का नामान्तकरण नए सिरे से विधि अनुसार पारित करें।	
आदेश सुनाया गया।	
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:00:01 IST
Reason: SelfAttested